

न्यायालय तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीतारीन अधिकारी:- श्री रतन लाल गवानी, आर.टी.एस.

प्रकरण संख्या 11/2024

GCMS Portal-2024/48

प्रार्थीगण:-

- राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का विराई, तहरील-बालेसर, जिला-जोधपुर ग्रामीण।

बनाम

अप्रार्थीगण:-

- भूरदान पुत्र प्रभुदान जाति- रावल, निवासी-विराई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956

-:निर्णय:-

दिनांक- 15 अक्टूबर 2024

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि पटवारी हल्का विराई ने अप्रार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी ने ग्राम विराई के खसरा नम्बर 723 किस्म गै.मु. गोचर की रकबा 0.02 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्की चारदीवारी कर अतिक्रमण किया है अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। हमने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया। अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि आवासीय मकान आबादी भूमि पर बना है जो कि पुराना है। अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि कब्जा खसरा संख्या-721/1 में है तथा वह इस कार्यवाही को ड्रॉप करवाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि उसका कब्जा खसरा संख्या 721/1 में है जो खसरा संख्या 723 के पास में है। अप्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी भूमि आवंटन नियमन की शर्तें पूरी नहीं नहीं करता है। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है व मौके से बेदखल करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया जाता है तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुणा राशि रुपये 10 अक्षरे दस रुपये मात्र जुर्माना आरोपित किया जाता है।

20/10/24



पटवारी हल्का अप्रार्थी को मौके से बेदखल करे एवं आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष मे जमा करावें। त.रा.ले. से मांग कायम होकर पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय भरे इजलास सुनाया गया।

22/10/14
तहसीलदार बालेसर
तहसीलदार बालेसर

